श्री नीतीश कुमार
माननीय मुख्यमंत्री

बिहार सरकार

श्री सम्राट चौधरी
माननीय मंत्री

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

वार्षिक प्रतिवेदन 2020–21

वार्षिक कार्यक्रम 2021–22

प्रस्तावना

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में चहुमुखी विकास के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त, समावेशी, पारदर्शी एवं स्वावलम्बी बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने समुचित निधि, दायित्व एवं मानव बल का प्रतिनिधायन सुनिश्चित किया है।

2. राज्य सरकार ने अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को शक्तियों का विकेन्द्रीकरण करते हुए संस्थाएँ प्रभावी तरीके से अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें, इसके लिए अनुकूल प्रशासनिक व्यवस्था की गई है।

3. राज्य की तीनों स्तर की पंचायती राज संस्थाओं को भारत सरकार एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं में निधि सुगमतापूर्वक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, त्वरित गति से हस्तांतरित की जा रही है। पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधियों एवं सम्बद्ध कर्मियों के सतत् प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए राज्य पंचायत संसाधन केन्द्र तथा सभी 38 जिलों में जिला पंचायत संसाधन केन्द्र की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस वित्तीय वर्ष में सभी जिलों में जिला पंचायत संसाधन केन्द्र के भवन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। साथ ही साथ मानव बल की भी स्वीकृति दी गई है।

4. त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं द्वारा पंचायती राज विभाग के नेतृत्व में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना का पूरी जिम्मेदारी के साथ वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के माध्यम से कार्यान्वयन किया जा रहा है। विभाग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को समुचित मार्गदर्शन, दिशा–निर्देश एवं निधि की व्यवस्था करते हुए निर्धारित समय–सीमा में लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रेरित किया जा रहा है।

5. राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के कार्यालय भवन की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु राज्य वित्त आयोग की निधि से भवनों के रख–रखाव सुदृढ़ीकरण एवं सूचना प्रावैधिकी क्षमता विकास का प्रावधान किया गया है। ग्राम पंचायत स्तर पर सभी पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से पंचायत सरकार भवनों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जा

रही है। राज्य की 8387 कुल ग्राम पंचायत में से अब तक 3200 पंचायत सरकार भवनों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, जिसमें से 1392 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं शेष कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है।

6. महोदय, सदन को यह अवगत कराते हुए मुझे संतोष हो रहा है कि अब पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कार्य ग्राम पंचायतों द्वारा स्वयं किया जा रहा है। इसके अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। राज्य सरकार की यह योजना है कि चरणबद्ध तरीके से सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत सरकार भवन की व्यवस्था कर दी जाए। पंचायत सरकार भवनों के निर्माण में एक बड़ी बाधा ग्राम पंचायत के मुख्यालय गांव में भूमि उपलब्ध नहीं होना रहा था। इस पर विचार करते हुए यह अनुमान्य किया गया है कि मुख्यालय गाँव में उपयुक्त भूमि अनुपलब्ध रहने पर ग्राम पंचायत के किसी भी ग्राम में पंचायत सरकार भवन के निर्माण हेतु उपयुक्त भूमि का चयन जिला पदाधिकारी द्वारा किया जा सकेगा।

7. इस संशोधन से अधिकांश ग्राम पंचायतों में भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित हो पा रही है।

8. राज्य सरकार ने सभी ग्राम पंचायतों में सूचना प्रावैधिकी का विकास करने तथा ई–ग्वर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए एक–एक कार्यपालक सहायक की पदस्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य की 8387 पंचायतों में से समभतः 7000 पंचायतों में कार्यपालक सहायक कार्यरत हैं। शेष पंचायतों में भी जिला पदाधिकारी द्वारा व्यवस्था की जा रही है। इन कार्यपालक सहायकों के माध्यम से पंचायतों द्वारा कार्यान्वित हो रही विभिन्न योजनाओं के अभिलेखों के रख–रखाव, अनुश्रवण एवं ऑनलाईन प्रविष्टि में काफी सहुलियत हुई है। साथ ही साथ पंचायत स्तर पर लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम के केन्द्रों का संचालन संभव हो पाया है। इस व्यवस्था से आम नागरिकों को सेवा प्राप्त करने के लिए अब प्रखंड स्तर पर जाने की आवश्यकता नहीं रह गई है। इससे जन साधारण को काफी सहुलियत हुई है।

9. राज्य सरकार ने चार पंचायत पर एक तकनीकी सहायक एवं चार पंचायत पर एक लेखापाल–सह–आई0टी0 सहायक की व्यवस्था की है। तकनीकी सहायकों के कुल स्वीकृत 2096 पदों में से 1418 पदों के विरूद्ध नियुक्ति हो चुकी है। इन सभी के पदस्थापन होने से ग्राम पंचायतों द्वारा कार्यान्वित हो रही योजनाओं का प्राक्कलन बनाने, तकनीकी पर्यवेक्षण एवं मापी में गति आ गई है।

10. ग्राम पंचायत के लेखों के उचित रख–रखाव एवं अंकेक्षण की दुरूस्त व्यवस्था के दृष्टिकोण से कुल 2096 लेखापाल–सह–आई०टी०सहायक के पद स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें से 1625 लेखापाल–सह–आई०टी०सहायक कार्यरत हैं। इससे पंचायतों के प्रशासन में काफी सहुलियत मिल पायी है।

11. राज्य सरकार द्वारा पंचायतों के नियमित निरीक्षण को सशक्त करने के लिए प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी की संख्या में वृद्धि की है। पूर्व में प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के

528 पद थे, जिनहें बढ़ाकर 716 कर दिया गया है। साथ ही साथ बिहार पंचायत राज सेवा नियमावली में संशोधन करते हुए प्रोन्नति के बेहतर अवसर उपलब्ध कराये गये हैं, जिससे कर्मियों के मनोबल में वृद्धि हुई है। बिहार पंचायत राज अधिनियम के अन्तर्गत तीनों स्तर के पंचायती राज संस्थाओं का नियमित अंकेक्षण सुनिश्चित करने के प्रावधान के क्रम में बिहार पंचायत राज अंकेक्षण सेवा का गठन किया गया है और 373 पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को प्रेषित की जा चुकी है। तात्कालिक व्यवस्था के तौर पर सेवानिवृत अंकेक्षकों की सेवा लेकर व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है।

12. मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के अन्तर्गत पंचायती राज विभाग के माध्यम से 4291 ग्राम पंचायतों के 58107 वार्डों में योजनाओं का कार्यान्वयन हो रहा है। मुझे सदन को यह बताते हुए संतोष है कि अबतक **56139 से अधिक** वार्डों में कार्य पूर्ण हो चुके हैं एवं लगभग 93 लाख परिवारों को पेयजल का कनेक्शन दिया जा चुका है। विभाग स्तर से इस योजना का अत्यंत कड़ा अनुश्रवण सुनिश्चित किया जा रहा है। सभी पेयजल योजनाओं पर सूचना प्रावैधिकी आधारित IOT (Internet of things) Device लगाया जा रहा है ताकि यह पता चल सके कि कौन सी योजना नहीं चल रही है एवं तद्नुसार सुधारात्मक कदम उठाए जा सके। इस योजना में प्रत्येक वार्ड स्तर पर अनुरक्षक का प्रावधान किया गया है ताकि योजना सतत् रूप से संचालित रहे, इस हेतु दीर्घकालीन अनुरक्षण नीति बनाई गई है।

13. मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना भी पंचायती राज विभाग के माध्यम से कार्यान्वित हो रही है। इसमें कुल 114651 वार्डों में कार्य किया जाना है। जिसके विरूद्ध अबतक **114153** वार्डों में कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शेष वार्डों में कार्य जारी है और इसे शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा। इस योजना में प्रत्येक घर तक पक्की गली एवं नाली के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। घरों से निकलने वाले पानी के निस्तारण के लिए नालियों में सोख्ता की व्यवस्था की गई है एवं ग्रामीण इलाकों में आवश्यकतानुसार जल भंडारण संरचनाएँ बनाई जा रही हैं। गाँव के गलियों में पेभर ब्लॉक के उपयोग को प्रोत्साहित किया गया है। विभाग द्वारा अवशेष कार्य का विशेष सर्वेक्षण कराया जा रहा है।

14. 15वें वित्त आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए अंतरिम रिपोर्ट समर्पित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में बिहार राज्य की त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं (जिला परिषद्, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत) के लिए कुल ₹5018.00 करोड़ (पचास अरब अठारह करोड़ रुपये) मात्र अनुदान की अनुशंसा की गई है, जिसमें से अबतक भारत सरकार से प्राप्त Untied (प्रथम एवं द्वितीय किस्त) एवं Tied (प्रथम किस्त) अनुदानों की कुल ₹3763.50 करोड़ (सैंतीस अरब तिरेसठ करोड़ पचास हजार रूपये) मात्र की राशि को त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद्) के बीच क्रमशः 70:20:10 के अनुपात में वितरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हुए उनके संबंधित बैक खाते में अंतरित कराई गई है।

15. सुशासन के कार्यक्रम, 2020–25 के अंतर्गत ''आत्मनिर्भर बिहार'' के सात निश्चय–2 कार्यक्रम के तहत ''स्वच्छ गाँव–समृद्ध गाँव'' निश्चय के अंतर्गत सभी गाँवों में सोलर स्ट्रीट लाईट लगाये जाने, नगर निकाय के तर्ज पर गाँव को विकसित करने, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, बस पड़ाव का निर्माण, सम्राट अशोक भवन का निर्माण, बेलट्रॉन के मानक के अनुरूप CCTV कैमरा अधिष्ठापित किये जाने, पार्क, पार्क में Open जिम, खेल का मैदान आदि योजनाओं क्रियान्वयन किया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए योजना का अंतिम रूप दिया जा रहा है।

16. जल–जीवन–हरियाली के तहत 15वें वित्त आयोग की अनुशंसाके आलोक में ग्राम पंचायतों का उपलब्ध कराई गई Untied Grant की राशि से कुल 60250 अदद् सार्वजनिक कुँओं का जीर्णोद्धार एवं कुँओं के किनारे सोख्ता का निर्माण कार्य पंचायती राज विभाग द्वारा किया जा रहा है।

17. स्वच्छ, पारदर्शी एवं न्यूनतम अवधि में विवाद रहित पंचायत चुनाव कराये जाने एवं सटीक मतगणना परिणाम सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से पंचायत आम चुनाव, 2021 पूरी तरह इ०वी०एम०के माध्यम से कराया जना प्रस्तावित है।

18. सदन को यह बताते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है कि राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों के वित्तीय सशक्तीकरण के लिए उन्हें कर/फीस लगाने की शक्तियाँ प्रदान करने पर विचार किया जा रहा है। इसके फलस्वरूप पंचायतों की वित्तीय स्थिति सशक्त होगी, जिससे पंचायतें अपनी गतिविधियों को और व्यापक कर सकेंगी।

19. राज्य सरकार त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त, समावेशी, पारदर्शी एवं उत्तरदायी बनाने के लिए कृत संकल्प है।

शुभकामनाओं सहित,

(**सम्राट चौधरी**)
मंत्री,
पंचायती राज विभाग।

पंचायती राज विभाग, बिहार

वार्षिक प्रतिवेदन

सामान्य विवरण

भारतीय संविधान के राज्य के नीति–निर्देशक सिद्धांत एवं 73वें संविधान संशोधन की भावना को मूर्त्त रूप देते हुए राज्य सरकार द्वारा बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 लागू किया गया है। 73वें संविधान संशोधन के आलोक में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने हेतु बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 अधिनियमित किया गया है एवं स्थानीय स्वशासन में आम लोगों की सहभागिता बढ़ाने, पारदर्शिता लाने, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, समाज के अत्यंत पिछड़े वर्गों तथा महिलाओं की सम्मानजनक भागीदारी सुनिश्चित करने का सार्थक प्रयास किया गया है। त्रिस्तरीय पंचायतों की सभी कोटियों में एकल पदों सहित सभी पदों पर महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। वर्तमान में 38 जिला परिषदें, 534 पंचायत समितियाँ, 8387 ग्राम पंचायतें एवं 8387 ग्राम कचहरियाँ कार्यरत हैं (परिशिष्ट–1)।

पंचायती राज विभाग में राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष 2515 एवं 4515 तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध मुख्य शीर्ष 2515, 2015 एवं 3451 के अन्तर्गत विभिन्न योजनाएँ एवं कार्यक्रम चलाये जाते हैं।

वित्तीय वर्ष 2020–21 में मांग संख्या–16 अंतर्गत राज्य स्कीम मद के मुख्य शीर्ष 2515, 4059 एवं 4515 में कुल ₹1427.37 करोड़ (चौदह अरब सत्तईस करोड़ सैंतीस लाख रुपये) मात्र तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद के मुख्य शीर्ष 2015, 2515 एवं 3451 में कुल ₹8174.0642 करोड़ (इक्कयासी अरब चौहतर करोड़ छह लाख बयालीस हजार रुपये) मात्र की राशि का उपबंध है (विवरणी परिशिष्ट 2 एवं 3)।

2. केन्द्रीय वित्त आयोग

(क) 15वाँ वित्त आयोग (वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए अंतरिम रिपोर्ट)

15वें वित्त आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए अंतरिम रिपोर्ट समर्पित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में बिहार राज्य की त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं (जिला परिषद्, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत) के लिए कुल ₹5018.00 करोड़ (पचास अरब अठारह करोड़ रुपये) मात्र अनुदान की अनुशंसा की गई है, जिसमें से अबतक भारत सरकार से प्राप्त Untied (प्रथम एवं द्वितीय किस्त) एवं Tied (प्रथम किस्त) अनुदानों की कुल ₹3763.50 करोड़ (सैंतीस अरब तिरेसठ करोड़ पचास हजार रूपये) मात्र की राशि को त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद्) के बीच क्रमशः 70:20:10 के अनुपात में वितरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हुए उनके संबंधित बैक खाते में अंतरित कराई गई।

15वें वित्त आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए अंतरिम रिपोर्ट के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को देय अनुदान में से 50 प्रतिशत बुनियादी अनुदान (**Untied**) होगा। इस राशि का उपयोग त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं द्वारा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय को छोड़कर उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए किया जा सकेगा।

शेष 50 प्रतिशत Tied Grant होगा जो निम्नलिखित दो मूलभूत आवश्यकताओं पर खर्च किया जा सकेगा :–

(a) स्वच्छता एवं खुले में शौचमुक्त (ODF) Status के सतत् रख–रखाव हेतु

(b) पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संचयन एवं Water Recycling जल का पुर्नचक्रण

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाएँ उक्त Tied अनुदान की राशि का लगभग आधी राशि दोनों घटकों पर उपयोग कर सकेगी, परन्तु किसी एक घटक में संतृप्तता हो जाने पर अन्य घटक में उपयोग किया जा सकेगा।

(ख) 15वाँ वित्त आयोग (वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2025–26 के लिए रिपोर्ट)

15वें वित्त आयोग की अनुशंसा वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2025–26 के लिए प्राप्त है। इसके अनुसार वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2025–26 तक बिहार राज्य की त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं (जिला परिषद्, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत) के लिए कुल ₹19561.00 करोड़ (उन्नीस हजार पाँच सौ इकसठ करोड़ रुपये) मात्र अनुदान की राशि अनुशंसित है। इस राशि का उपयोग राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्थानीय निकायों के संसाधनों में सहायता हेतु किया जाना है, जो निम्नवत् हैः–

i. ग्रामीण स्थानीय निकायों को संवितरित किए जाने वाले कुल अनुदानों का 40 प्रतिशत अनाबद्ध रहेगा जिसका उपयोग उनके द्वारा वेतन एवं अन्य स्थापना लागतों के अलावा, ग्यारहवीं अनुसूची में उनतीस विषयों के तहत आने वाले कार्यो को निष्पादित करने में महसूस की गई अवश्यकताओं को

पूरा करने के लिए किया जा सकता है। तथापि, बाहय एजेंसियों द्वारा लेखाओं की लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक व्यय, जिससे राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया हो, को इस अनुदान से खर्च किया जा सकता है।

ii. ग्रामीण स्थानीय निकायों को संवितरित किए जाने वाले कुल अनुदानों का 30 प्रतिशत पेयजल, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण के लिए अलग से निर्धारित किया जाएगा।

iii. ग्रामीण स्थानीय निकायों को संवितरित किए जाने वाले कुल अनुदानों का 30 प्रतिशत स्वच्छता और ओडीएफ स्थिति को अनुरक्षित करने के लिए अलग से निर्धारित किया जाएगा और इसमें परिवार अपशिष्ट, विशेष रूप से मानव मल तथा मलीय गाद का प्रबंधन एवं शोधन शामिल होगा।

यदि किसी स्थानीय निकाय ने किसी एक श्रेणी की आवश्यकताओं की पूर्ति पूर्ण रूप से कर ली है, और उस प्रयोजन के लिए उसे निधियों की अपवश्यकता नहीं है, तो वह निधियों का उपयोग अन्य श्रेणी के तहत आने वाले कार्यों के लिए कर सकता है। इसका सत्यापन संबंधित ग्राम सभा द्वारा किया जायेगा जिसकी पुष्टि पंचायतों या राज्य सरकार के पर्यवेक्षी प्राधिकारी द्वारा किये जाने की अनुशंसा है।

उक्त के आलोक में 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को निम्नरूपेण राशि उपलब्ध कराये जाने की अनुशंसा हैः–

राशि करोड़ में।

sr.	**Grant for PRIs**		**Financial Year**					**Total**
			2021-22	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26**	
1	**2**		**3**	**4**	**5**	**6**		**7**
1	Tied (60%)	Suply of drinking water, rain water harvesting & water recycling (30%).	1112.70	1152.60	1165.20	1234.20	1203.60	5868.30
		Status & maintenance of Open Defacation Free (ODF)local body (30%).	1112.70	1152.60	1165.20	1234.20	1203.60	5868.30
		Total	**2225.40**	**2305.20**	**2330.40**	**2468.40**	**2407.20**	**11736.60**
2	Untied (40%)	It is to be utilize at the discretion of the Panchayti Raj Institutions for improving basic services.	**1483.60**	**1536.80**	**1553.60**	**1645.60**	**1604.80**	**7824.40**
Grand Total			**3709.00**	**3842.00**	**3884.00**	**4114.00**	**4012.00**	**19561.00**
उपरोक्त Tied एवं Untied अनुदान दो–दो किस्तों में भारत सरकार द्वारा विमुक्त किये जाने की अनुशंसा है।								

वित्तीय वर्ष 2021–22 में 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में कुल ₹5,018.00 करोड़ (पाँच हजार अठारह करोड़ रुपये) मात्र की राशि का बजट उपबंध कराया गया है।

3. ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP)

भारत के संविधान के अनुच्छेद–243(छ) में आर्थिक एवं समाजिक न्याय की योजना बनाने के लिए पंचायतों को अधिदेशित किया गया है। केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा से ग्राम पंचायत का कार्य क्षेत्र अधिक विस्तृत एवं व्यापक हुआ है। स्वशासी सरकार के रूप में पचायतों से अपेक्षा है कि उनके द्वारा ग्राम पंचायत के उपेक्षित एवं सुविधाओं से वंचित आमजनों का पहचान कर उन्हें समाजिक एवं आर्थिक विकास की सहभागितापूर्ण प्रक्रिया से जोड़ा जाए और एक उत्तरदायी व्यवस्था कायम की जाये।

उपर्युक्त आलोक में पंचायती राज विभाग द्वारा ''सबकी योजना सबका विकास'' की परिकल्पना को निहित करते हुए ग्राम पंचायत विकास योजना का कार्यान्वयन किया गया है। इसके तहत राज्य स्तर पर वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए ग्राम पंचायत के समाजिक एवं आर्थिक विकास के अनुरूप सभी ग्राम पंचायतों के द्वारा ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने ई०ग्राम स्वराज पोर्टल में डाटा प्रविष्टि का कार्य प्रगति पर है।

4. प्रखण्ड पंचायत विकास योजना (BPDP)

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त मार्गदर्शन के आलोक में प्रखण्ड पंचायत विकास योजना तैयार करके ई–ग्राम स्वराज पोर्टल में डाटा प्रविष्टि का कार्य प्रगति पर है। साथ ही जिला पंचायत विकास योजना के संबंध में कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

5. षष्ठम् राज्य वित्त आयोग

षष्ठम् राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा सम्प्रति अप्राप्त है। षष्ठम् राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा प्राप्त होने की प्रत्याशा में वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए कुल **₹2626.22 करोड़ (छब्बीस अरब छब्बीस करोड़ बाईस लाख रूपये)** मात्र की राशि का बजट उपबंध कराया गया है।

6. राज्य पंचायत संसाधन केन्द्र (SPRC) एवं जिला स्तर पर जिला पंचायत संसाधन केन्द्र (DPRC) :

पंचायतों के सशक्तीकरण के लिए राज्य स्तर पर राज्य पंचायत संसाधन केन्द्र (SPRC) एवं जिला स्तर पर जिला पंचायत संसाधन केन्द्र (DPRC) स्थापित करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। उक्त हेतु पंचायत राज संस्थाओं के विकासात्मक एवं प्रबंधकीय

क्षमता बढ़ाने, पारदर्शिता से कार्य कराने तथा आम लोगों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु ''बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाईटी'' को बिहार राज्य पंचायत संसाधन संस्था के रूप में पुर्नगठित किया गया है। संस्थागत अधोसंरचना इकाई के तहत राज्य के 38 जिलों में जिला पंचायत संसाधन केन्द्र निर्मित करने हेतु आदेश निर्गत है। उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु सभी जिला परिषदों को भवन का मॉडल, मानक प्राकलन एवं राशि उपलब्ध करा दी गयी है। साथ ही राज्य पंचायत संसााधन केन्द्र हेतु भवन के निर्माण के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

7. मुख्यमंत्री निश्चय योजनाः

सुशासन के कार्यक्रम 2015–20 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा ''सात निश्चय'' लिये गये हैं जिनमें से दो निश्चयों का क्रियान्वयन पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा किया जा रहा है, जो निम्नवत् हैः–

(i) मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजनाः– इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पाईप द्वारा शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायतों द्वारा जलापूर्ति की छोटी–छोटी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। इसके लिए साधारणतः भौगोलिक निरंतरता को ध्यान में रखते हुए ग्राम पंचायतों के वार्ड को एक इकाई मान कर प्रत्येक वार्ड के लिए एक योजना ली जा रही है। ग्राम पंचायत के वार्डों में जल की इस आवश्यकता को बोरिंग, सबमर्सिवल पम्प एवं डिस्ट्रीब्यूशन पाईपलाइन के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। जल की शुद्धता एवं उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु जलस्रोत (बोरिंग) की न्यूनतम गहराई 100 मीटर रखी जा रही है। पाईप लाइन के माध्यम से घरों तक जल वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है। इस योजना के लिए स्थानीय क्षेत्रों की आवश्यकतानुसार विभिन्न विशिष्टियों के विभिन्न प्रकार के मानक प्राक्कलन तैयार किये गए हैं। विभिन्न विशिष्टियों के अनुसार मानक प्राक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी/प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान कर ग्राम पंचायतों को भेजा गया है। **स्थानीय आवश्यकता अनुसार मानक प्राक्कलन के आधार पर विशिष्ट योजनाओं का प्राक्कलन तैयार कर क्रियान्वित किया जा रहा है।** मानक प्राक्कलन लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार की सहायता से तैयार की गई है। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजनाओं के कार्यान्वयन में वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति (WIMC) द्वारा कोटेशन के आधार पर भी प्राक्कलन के विभिन्न अवयवों का अवयववार कार्यान्वयन कराया जा सकेगा। विशिष्टयों के अनुसार गुणवत्ता युक्त कार्य पूर्ण होन के उपरांत कनीय अभियंता द्वारा मापी पुस्तिका में दर्ज मापी के आधार पर ही भुगतान करने का प्रावधान है। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना में 4291 ग्राम पंचायतों के 58107 वार्डों में से अबतक **56000 से अधिक** वार्डों में पेयजल योजनाओं का कार्यान्वयन पूर्ण किया जा चुका है, जिसके

फलस्वरूप लगभग 90 लाख घरों को शुद्ध नल का जल मिल पा रहा है। इस योजना के अवशेष वार्डों में कार्य जारी है।

(ii) मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजनाः– इस योजना अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम के अन्तर्गत बसावटों को सम्पर्कता एवं ग्राम के अन्तर्गत गली–नाली का पक्कीकरण हेतु ग्राम पंचायतों द्वारा ईंट सोलिंग, पेभर ब्लॉक एवं पी०सी०सी० गली निर्माण (नाली के साथ) की छोटी–छोटी योजनाएं चरणबद्ध रूप से क्रियान्वित की जा रही है। ग्राम पंचायत क्षेत्रों की स्थानीय भौगोलिक परिस्थियों, यथाः– मिट्टी का प्रकार, पानी की निकासी, आदि कारकों को ध्यान में रखते हुए अलग–अलग क्षेत्रों के अनुरूप गली–नाली निर्माण हेतु विभिन्न विशिष्टियों के विभिन्न प्रकार के मानक प्राक्कलन तैयार किये गए हैं। मानक प्राक्कलनों की तैयारी में ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार की सहायता ली गई है। इस योजना में आवश्यकतानुसार भू–अर्जन की भी व्यवस्था की गई है। हर घर को पक्की गली–नाली से जाड़ने के निश्चय का कार्यान्वयन तीव्र गति से चल रहा है। अब तक कुल 114691 वार्डों के विरूद्ध **114217** वार्डों में कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय प्रबंधन राज्य योजना मद की राशि के अतिरिक्त चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में प्राप्त होने वाली अनुदान की राशि एवं पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्राम पंचायतों को प्राप्त होनेवाली प्रतिनिधायन की राशि एवं अन्य केन्द्रीय/राज्य योजनाओं के साथ अभिसरण कर की जा रही है।

मुख्यमंत्री निश्चय योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2020–21 में ₹400.00 करोड़ (चार अरब रूपये) मात्र की राशि का प्रावधान किया गया है।

8. जल–जीवन–हरियाली अभियान के तहत सार्वजनिक कुँओं का जीर्णोद्धार एवं कुँओं के किनारे सोख्ता का निर्माण कार्य किया जाना है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा प्रति पंचायत एक की दर से कुल 8387 अदद् सार्वजनिक कुँओं का जीर्णोद्धार एवं सोख्ता निर्माण कार्य किया जा रहा है। 60250 अदद् सार्वजनिक कुँओं का जीर्णोद्धार एवं सोख्ता निर्माण कार्य पंचायती राज विभाग द्वारा किया जा रहा है। इस कार्य हेतु मानक प्राक्कलन जिलों को प्रेषित है, जिसकी प्राक्कलित राशि ₹62400.00 (छह लाख चौबीस हजार रूपये) मात्र की राशि है। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराई गई Untied Grant की राशि से इस योजना का क्रियान्वयन की जा रही है। ग्राम पंचायत द्वारा किये जा रहे कार्यों की प्रविष्ठि जल–जीवन–हरियाली पोर्टल पर की जा रही है। अद्यतन 1630 अदद् सार्वजनिक कुँओं का जीर्णोद्धार कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है, जिसमें से 1530 अदद् कार्य प्रगति में है एवं 100 अदद् कार्य पूर्ण किया जा चुका है। मार्च 2021 तक सभी सार्वजनिक कुँओं एवं सोख्ता निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु निदेश दिया गया है।

9. सभी गाँवों में सोलर स्ट्रीट लाईट योजना :

सुशासन के कार्यक्रम, 2020–25 के अंतर्गत ''आत्मनिर्भर बिहार'' के सात निश्चय–2 कार्यक्रम के तहत ''स्वच्छ गाँव–समृद्ध गाँव'' निश्चय के अंतर्गत सभी गाँवों में सोलर स्ट्रीट लाईट लगाया जाना प्रस्तावित है। इस योजना का कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2021–22 एवं 2022–23 में किया जाएगा। यदि कोई क्षेत्र छूट जायेंगे तो अगले वित्तीय वर्ष में कार्यान्वयन किया जाएगा एवं रख–रखाव अगले पाँच वर्ष तक जारी रहेगा। इस योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हित सार्वजनिक स्थलों पर ब्रेडा द्वारा सूचीवद्ध एजेंसियों के माध्यम से सोलर स्ट्रीट लाईट लगाई जाएगी, जिनका रख–रखाव पाँच वर्ष की अवधि के लिए इन एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। इस योजना के कार्यान्वयन में लगभग ₹2000.00 करोड़ रुपये की राशि व्यय होने का अनुमान है, जिसमें 75 प्रतिशत धनराशि 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा से पंचायतों को प्राप्त होने वाली Untied अनुदान की राशि से व्यवस्था की जाएगी। शेष 25 प्रतिशत धनराशि की व्यवस्था राज्य योजना/षष्ट्म राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त होने वाले अनुदान से किया जाना प्रस्तावित है।

इस योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2020–21 में ₹150.00 करोड़ (एक अरब पचास करोड़ रूपये) मात्र की राशि का प्रावधान किया गया है।

10. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना (RGSA):

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) योजना को पुनर्गठित करते हुए इसे दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2022 तक प्रभावी किया गया है। यह केन्द्र प्रायोजित स्कीम है, जिसमें केन्द्र एवं राज्य की हिस्सेदारी 60:40 है। इस योजना का मुख्य उद्ददेश्य पंचायती राज संस्थाओं का सशक्तीकरण, मानव संसाधन सूचना प्रौधौगिकी सुविधा के सुढ़ढ़ीकरण, क्षमतावर्द्धन, ई–गर्वनेंस, ढ़ांचा का विकास, राज्य निर्वाचन आयोग के आधुनिकीकरण का प्रावधान किया गया है।

उक्त योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2020–21 में क्षमतावर्द्धन इकाई के अन्तर्गत ग्राम पंचायत विकास योजना निर्मित करने से संबंधित विषय पर राज्य, जिला एंव प्रखण्ड स्तर पर प्रशिक्षकों, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, कर्मियों जीविका समूह के सदस्यों एवं Line Department के कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है। इसी प्रकार इसके तहत राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर मास्टर प्रशिक्षकों का रिफ्रेशर प्रशिक्षण कराया गया है।

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में केन्द्रांश एवं राज्यांश मद में कुल ₹177.37 करोड़ (एक अरब सत्तहतर करोड़ सैंतीस लाख रूपये) मात्र की राशि का बजट उपबंध कराया गया है।

11. शक्तियों का प्रतिनिधायन एवं कार्यमान चित्रण

राज्य के उत्तरोत्तर विकास के लिए पंचायती राज विभाग के नियंत्रणाधीन कई योजनाओं, यथा चौदहवें वित्त आयोग एवं पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर प्राप्त राशि से ली गयी योजनाओं तथा मुख्यमंत्री निश्चय योजना इत्यादि का कार्यान्वयन पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है। पंचायती राज संस्थाओं द्वारा इन योजनाओं का कार्यान्वयन विभागीय संकल्प ज्ञापांक–9026 दिनांक 30.10.2017 के आलोक में विभाग द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों के अधीन किया जा रहा था। पुनः विभागीय संकल्प संख्या 4599 दिनांक 19.07.2019 द्वारा पंचायती राज विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी निधि से त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं द्वारा ली जानेवाली सभी योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने की शक्ति को प्रत्यायोजित किया गया है, जो निम्नवत् है :–

क्र0	पदाधिकारी का नाम	शक्ति स्वरूप	राशि सीमा
1	जिला पदाधिकारी	प्रशासनिक	बीस करोड़ रू0 तक
2	उप विकास आयुक्त	प्रशासनिक	एक करोड़ रू0 तक
3	प्रखंड विकास पदाधिकारी	प्रशासनिक	तीस लाख रू0 तक
4	ग्राम पंचायत	प्रशासनिक	बीस लाख रू0 तक
5	अधीक्षण अभियंता	तकनीकी	बीस करोड़ रू0 तक
6	कार्यपालक अभियंता	तकनीकी	एक करोड़ रू0 तक
7	सहायक अभियंता	तकनीकी	तीस लाख रू0 तक
8	कनीय अभियंता/तकनीकी सहायक	तकनीकी	बीस लाख रू0 तक

अद्यतन संशोधनों के अनुरूप ग्राम पंचायतों को प्रशासनिक स्वीकृति की सीमा ₹15.00 लाख रूपये से ₹20.00 लाख रूपये एवं कनीय अभियंता के समरूप योग्यताधारी विभागीय तकनीकी सहायकों की तकनीकी स्वीकृति की सीमा ₹15.00 लाख रूपये से ₹20.00 लाख रूपये बढ़ा दी गई है।

12. त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को भत्ता

संविधान के 73 वें संशोधन में निहित सत्ता के विकेन्द्रीकरण की मूल भावना को मूर्तरूप देने के उद्देश्य से प्रत्येक स्तर पर विकास कार्यो में जन सहभागिता प्राप्त करने के लिए

त्रिस्तरीय पंचायतों को चरणबद्ध तरीके से शक्तियाँ एवं दायित्व सौंपे जा रहे हैं। फलस्वरूप त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों/जिला परिषद के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, पंचायत समिति के प्रमुख/उप प्रमुख, ग्राम पंचायत के मुखिया/उप मुखिया एवं ग्राम कचहरी के सरपंच/उप सरपंच के दायित्वों में भी अत्यधिक वृद्धि हुई है। साथ ही सभी सदस्यों को नियमित रूप से बैठक में भी भाग लेना होता है।

तद्नुसार विभागीय संकल्प ज्ञापांक 2517 दि० 05.05.2015 द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों (सदस्य)/जिला परिषद् के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, पंचायत समिति के प्रमुख/उप प्रमुख, ग्राम पंचायत के मुखिया/उप मुखिया एवं ग्राम कचहरी के सरपंच/उप सरपंच को पूर्व से स्वीकृत यथास्थिति नियत (प्रतिमाह) भत्ते, दैनिक भत्ता एवं विशेष मानदेय को विलोपित करते हुए वित्तीय वर्ष 2015–16 से 01.04.2015 के प्रभाव से समेकित नियत (प्रतिमाह) भत्ता की स्वीकृति दी गयी है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को मानदेय/भत्ता भुगतान हेतु कुल ₹226.00.00 लाख (दो अरब छब्बीस करोड़ रूपये) मात्र की राशि का प्रावधान किया गया है।

13. नियमावलियों का गठन

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा–146 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंचायत राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी को सुदृढ़ करने हेतु अबतक निम्नलिखित नियमावलियाँ गठित की गई हैं :–

(i) बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006

(ii) बिहार जिला योजना समिति का गठन एवं कार्य संचालन नियमावली, 2006

(iii) बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, सेवाशर्त्त एवं कर्त्तव्य) नियमावली, 2007

(iv) बिहार पंचायत निर्वाचन (संशोधन) नियमावली, 2007

(v) बिहार ग्राम कचहरी संचालन नियमावली, 2007

(vi) बिहार राज्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति एवं सेवाशर्त्त) नियमावली, 2008

(vii) बिहार ग्राम कचहरी सचिव (नियोजन, सेवाशर्त्त एवं कर्तव्य) (संशोधन) नियमावली, 2008

(viii) बिहार पंचायत सेवा नियमावली, 2010

(ix) बिहार ग्राम पंचायत (सचिव की नियुक्ति, अधिकार एवं कर्त्तव्य) नियमावली, 2011

(x) बिहार ग्राम सभा (बैठक के संयोजन एवं संचालन की प्रक्रिया) नियमावली, 2012

(xi) बिहार पंचायत (उप विधि एवं विनियम–निर्माण–प्रक्रिया) नियमावली, 2012

(xii) बिहार पंचायत (कार्यालय का निरीक्षण तथा कार्यकलापों की जाँच, पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन) नियमावली, 2014

(xiii) बिहार ग्राम कचहरी सचिव (नियोजन,सेवाशर्त एवं कर्त्तव्य) नियमावली, 2014

(xiv) बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, सेवाशर्त्त एवं कर्तव्य) (संशोधन) नियमावली, 2015 (ग्राम कचहरी न्यायमित्र की सेवा पुनः ली गयी)

(xv) बिहार पंचायत राज संस्था (कार्य संचालन) नियमावली, 2015

(xvi) बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, सेवाशर्त्त एवं कर्तव्य) (संशोधन) नियमावली, 2015 (नियत फीस ₹2500.00 से ₹7000.00 की गयी)

(xvii) बिहार पंचायत निर्वाचन (संशोधन) नियमावली, 2016 (चुनाव खर्च की अधिसीमा निर्धारण से संबंधित)

(xviii) बिहार पंचायत निर्वाचन (संशोधन) नियमावली, 2016 (आरक्षण निर्धारण किया गया)

(xix) बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, सेवाशर्त्त एवं कर्तव्य) (संशोधन) नियमावली, 2016 (प्राप्तांक समान रहने की दशा में निर्णय लिया जाना)

(xx) बिहार वार्ड सभा तथा वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति कार्य संचालन नियमावली, 2017

(xxi) बिहार जिला योजना समिति का गठन एवं कार्य संचालन (संशोधन) नियमावली, 2017

(xxii) बिहार पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम 17, 2017)

(xxiii) बिहार पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम 17, 2017)

(xxiv) बिहार राज्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति एवं सेवाशर्त्त) (संशोधन) नियमावली, 2018

(xxv) बिहार वार्ड सभा तथा वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति कार्य संचालन (संशोधन) नियमावली, 2019

(xxvi) बिहार राज्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति एवं सेवाशर्त) (संशोधन) नियमावली, 2019

14. प्रक्रियाधीन नियुक्तियाँ एवं पद सृजन

(क) विभाग में पंचायत सचिवों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग, पटना की अनुशंसा प्राप्त की जानी है। इसके लिए बिहार ग्राम पंचायत (सचिव की नियुक्ति, अधिकार एवं कर्त्तव्य) नियमावली, 2011 का गठन किया गया है। उक्त नियमावली के अंतर्गत जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार विभागीय पत्रांक 13 दिनांक 02.01.2013 एवं पत्रांक 939 दिनांक 21.02.2013 द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना एवं बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना को 3161 पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना भेजी गई है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना में पंचायत सचिवों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

(ख) पंचायत सचिव से प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के पद पर कुल स्वीकृत पद के 25% पदों को प्रोन्नति द्वारा भरा जाना अपेक्षित है। प्रोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के विरूद्ध प्रोन्नति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

(ग) विभागीय पत्रांक–4298 दिनांक–03.08.2018 के द्वारा 133 (एक सौ तैंतीस) प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारियों के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा अयोजित 64वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल करने हेतु प्रेषित। उक्त रिक्तियों के विरूद्ध नियुक्ति की कार्रवाई आयोग के स्तर पर प्रक्रियाधीन है। विभागीय पत्रांक–3473 दिनांक–31.05.2019 के द्वारा 14 (चौदह) प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारियों के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा आयोजित 65वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल करने हेतु प्रेषित है। पुनः विभागीय पत्रांक–5170 दिनांक–04.09.2020 द्वारा 162 (एक सौ बासठ) प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारियों के पद पर

सीधी नियुक्ति हेतु अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा आयोजित 66वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल करने हेतु प्रेषित है।

(घ) बिहार पंचायत सेवा के अंकेक्षण संवर्ग नियमावली, 2019 के गठन के फलस्वरूप बिहार पंचायत अंकेक्षण सेवा के अंकेक्षक (पंचायती राज) के 373, वरीय अंकेक्षण अधिकारी (पंचायती राज) के 174, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी (पंचायती राज) के 41 एवं मुख्य अंकेक्षण पदाधिकारी (पंचायती राज) के 01 अर्थात कुल–589 (पाँच सौ नवासी) पदों का सृजन किया गया है। उक्त पदों के सृजन के पश्चात् अंकेक्षण सेवा के अंकेक्षक (पंचायती राज) के कुल–371 (तीन सौ इकहत्तर) पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेजी गई है, जिसपर नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

(ड़) विभाग के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए पंचायती राज विभाग क्षेत्रीय कार्यालय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2018 का गठन किया जा चुका है। तदनुसार पदों का सृजन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

15. सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का गठन दिनांक 15.06.2006 के प्रभाव से हुआ है। इस अधिनियम के तहत बिहार सरकार द्वारा सूचना का अधिकार नियमावली, 2006 गठित की गयी है जो 28.06.2006 से प्रभावी है।

इस अधिनियम एवं नियमावली के तहत पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के अधीन विभाग (मुख्यालय) एवं राज्य की त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं, यथा ग्राम पंचायत, पचांयत समिति एवं जिला परिषद् के लिए लोक सूचना पदाधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकार निम्नरूपेण पदनामित किए गए है :–

(1) <u>विभाग (मुख्यालय) स्तर पर</u> :–

(i) **लोक सूचना पदाधिकारी** – प्रशाखा पदाधिकारी

(ii) **सहायक लोक सूचना पदाधिकारी** – संबंधित प्रशाखा/कोषांग के प्रशाखा पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना

(iii) **प्रथम अपीलीय प्राधिकार** – विशेष सचिव

(2) <u>जिला परिषद् स्तर पर</u> :–

(i) लोक सूचना पदाधिकारी – निदेशक, लेखा प्रशासन–सह–अपर

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्

(ii) प्रथम अपीलीय प्राधिकार – उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्

(3) **पंचायत समिति स्तर पर** :–

(i) लोक सूचना पदाधिकारी – संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी

(ii) प्रथम अपीलीय प्राधिकार – संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी

(4) **ग्राम पंचायत स्तर पर** :–

(i) लोक सूचना पदाधिकारी – संबंधित प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी

(ii) प्रथम अपीलीय प्राधिकार – संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी

16. बिहार लोक शिकायत अधिकार अधिनियम, 2015 से संबंधित वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2020–21 (मार्च 2020 से फरवरी 2021 तक):

क्र0	आवेदनों का वर्गीकरण	प्राप्त आवेदन–पत्रों की कुल संख्या	कुल निष्पादित	शेष आवेदन पत्रों की संख्या
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	विभागीय स्तर पर सुनवाई हेतु	881	810	71
2	प्रथम अपील	43	43	0
3	द्वितीय अपील	24	24	0
4	अंतरण	42	42	0
5	निगेटिव	16	16	0
कुल योग :–		**1006**	**935**	**71**

17. पंचायत सरकार भवन

पंचायत के क्रियाकलापों के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यकतानुसार कार्यालय भवन का होना आवश्यक है। इसके लिए पंचायत सरकार भवन का डिजाईन तैयार किया गया है। भवन में पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायत स्तर के कर्मियों के लिए स्थान,

ग्राम कचहरी के न्यायालय कक्ष, अभिलेखों के संरक्षण के लिए स्थान, पंचायत स्टैंडिंग कमिटि के लिए हॉल, नागरिकों के लिए स्वागत कक्ष, कम्प्यूटराईज्ड सेवा प्रदान करने के लिए सेवा केन्द्र, स्टोर, पैन्ट्री एवं शौचालय आदि का प्रावधान किया गया है। इसका उपयोग बहुद्देशीय होगा। उपर्युक्त कार्यो के अतिरिक्त बाढ़ एवं अन्य आपदाओ में भी उसका उपयोग किया जा सकेगा।

राज्य सरकार द्वारा सभी पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से पंचायत सरकार भवन निर्माण करने का निर्णय लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2012–13 से 2013–14 में 1435 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण की स्वीकृति दिया गया है। 1435 पंचायत सरकार भवनों में अबतक 1128 पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य पूर्ण है। शेष अभी निर्माणधीन हैं। इस कार्य को पूर्ण कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2021–22 में राज्य स्कीम मद से मांग संख्या–35 के बजट शीर्ष में कुल ₹55.00 करोड़ (पचपन करोड़ रूपये) मात्र की राशि का प्रावधान किया गया है।

इसके अतिरिकत बिहार पंचायत सुदृढ़ीकरण परियोजना के अन्तर्गत विश्व बैंक की सहायता से बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाईटी के द्वारा 330 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें से 260 का कार्य पूर्ण है। शेष अभी निर्माणाधीन है।

ग्राम पंचायतों के क्रियाकलापों के सफल क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 से 2020–21 तक प्रति पंचायत सरकार भवन ₹1,14,43,136.00 (एक करोड़ चौदह लाख तैंतालिस हजार एक सौ छत्तीस रूपये) मात्र की प्राक्कलित राशि की दर से राज्य में शेष बचे 6621 [8386-(1435+330)] पंचायतों में से कुल 1435 पंचायत सरकार भवन बनाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इन पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कार्य विभाग द्वारा नियुक्त हो रहे तकनीकी सहायकों के तकनीकी प्रवेक्षण में ग्राम पंचायत द्वारा कार्यान्वित कराया जायेगा। अबतक कुल 1435 पंचायत सरकार भवनों में कुल 04 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। साथ ही स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के कनीय अभियंता/सहायक अभियंता /कार्यपालक अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता द्वारा तकनीकी प्रवेक्षण किया जायेगा। इस कार्य को पूर्ण कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2021–22 में राज्य स्कीम मद से माँग संख्या 16 के बजट शीर्ष में कुल ₹321.00 करोड़ (तीन अरब इक्कीस करोड़ रूपये) मात्र की राशि का प्रावधान किया गया है।

18. अंकेक्षण

1. 15वें वित्त की अनुशंसा के आलोक में पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निदेशानुसार वित्तीय वर्ष 2019–20 का राज्य के कुल ग्राम पंचायतों के 20 प्रतिशत पंचायतों का ऑडिट ऑनलाईन अंकेक्षण कार्य किया जाना अनिवार्य है। उक्त के आलोक में राज्य के 20 प्रतिशत ग्राम पंचायतों (8387 ग्राम पंचायतों का 20 प्रतिशत) अर्थात 1677 ग्राम पंचायतों का अंकेक्षण कार्य स्थानीय निधि अंकेक्षण निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा किया जा रहा है। अबतक 1707 ग्राम पंचायतों में से कुल 925 ग्राम पंचायतों का अंकेक्षण कार्य हो चुका है। ऑडिट ऑनलाईन अंकेक्षण कार्य निर्धारित

समयावधि 31 मार्च, 2021 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। इस कार्य हेतु विभाग द्वारा सेवानिवृत्त अंकेक्षकों की भी सेवा ली जा रही है।

2. पंचायती राज विभाग द्वारा आंतरिक अंकेक्षण व्यवस्था को सुदृढ करने हेतु बिहार पंचायत अंकेक्षण सेवा का गठन किया जा चुका है। इस सेवा के अधीन चार श्रेणियों के पदों यथा अंकेक्षक, वरीय अंकेक्षण अधिकारी, जिला अंकेक्षण अधिकारी तथा मुख्य अंकेक्षण अधिकारी का सृजन किया गया है। कुल 589 पद सृजित हैं। मूल पद अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु बिहार लोक आयोग द्वारा विज्ञापन प्रकाशित कर दिया गया है। शीघ्र ही आयोग द्वारा परीक्षा आयोजित की जायेगी। नियुक्ति उपरान्त सुचारू ढ़ग से पंचायती राज संस्थाओं तथा ग्राम कचहरियों का अंकेक्षण कार्य सुनिश्चित हो जायेगा।

3. आंतरिक अंकेक्षण व्यवस्था को मजबूत करने हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20, 2020–21 एवं 2021–22 का त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं तथा ग्राम कचहरियों का योग्य चार्टर्ड एकाउन्टेंट फर्मों द्वारा अंकेक्षण कार्य हेतु जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा किये जाने का निर्णय विभाग द्वारा लिया गया है। उक्त के आलोक में अबतक 38 जिलों में से 28 जिलों में योग्य सी0ए0 फर्मों का चयन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शीघ्र ही सभी जिलों में यह कार्य सम्पन्न कर लिया जायेगा।

19. <u>पंचायत पुरस्कार, 2020</u>:–

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार, 2020 (आधार वर्ष 2018–19) हेतु बिहार राज्य अंतर्गत निम्नलिखित ग्राम पंचायतों/पंचायत समितियों/जिला परिषदों को पुरस्कृत किया गया है:–

(a) दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार (DDUPSP),2020

जिला परिषद:–

1. ***औरंगाबाद***

पंचयत समिति:–

1. जिला पटना के प्रखण्ड ***मसौढ़ी***
2. जिला रोहतास के प्रखण्ड ***अकोढ़ीगोला***
3. जिला औरंगाबाद के प्रखण्ड ***कुटुम्बा***
4. जिला औरंगाबाद के प्रखण्ड ***रफीगंज***

ग्राम पंचायत:–

1. जिला भोजपुर के प्रखण्ड जगदीशपुर अंतर्गत **दावा** ग्राम पंचायत
2. जिला दरभंगा के प्रखण्ड सिंहवारा अंतर्गत **रामपुरा** ग्राम पंचायत
3. जिला औरंगाबाद के प्रखण्ड मदनपुर अंतर्गत **मदनपुर** ग्राम पंचायत
4. जिला मुजफ्फरपुर के प्रखण्ड सकरा अंतर्गत **भरथीपुर** ग्राम पंचायत

(b) नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, 2020:—

1. जिला समस्तीपुर के प्रखण्ड रोसड़ा अंतर्गत **मोतीपुर** ग्राम पंचायत

(c) बाल हितैसी ग्राम पंचायत पुरस्कार, 2020:—

1. जिला औरंगाबाद के प्रखण्ड कुटुम्बा अंतर्गत **कुटुम्बा** ग्राम पंचायत

(d) ग्राम पंचायत विकास योजना, 2020:—

1. जिला दरभंगा के प्रखण्ड केवटी रनवे अंतर्गत **केवटी** ग्राम पंचायत

परिशिष्ट–1

राज्य – बिहार
विभाग – पंचायती राज विभाग

1	जिला परिषदों की कुल संख्या	38
2	पंचायत समितियों की कुल संख्या	534
3	ग्राम पंचायतों की कुल संख्या	8387
4	ग्राम कचहरियों की कुल संख्या	8387
5	ग्राम पंचायत सदस्यों की कुल संख्या	114691
6	ग्राम पंचायत के मुखिया की कुल संख्या	8387
7	पंचायत समिति के सदस्यों की कुल संख्या	11497
8	जिला परिषद के सदस्यों की कुल संख्या	1161
9	ग्राम कचहरी के पंचों की कुल संख्या	114691
10	ग्राम पंचायत के सरपंचों की कुल संख्या	8387
11	ग्राम पंचायत सचिव की कुल कार्यरत संख्या	3635
12	ग्राम पंचायत सचिव की कुल रिक्त संख्या	4751
13	ग्राम कचहरी न्याय मित्र की कुल संख्या	6947
14	ग्राम कचहरी सचिव की कुल संख्या	7474
15	जिला पंचायत राज पदाधिकारी की कुल संख्या	38
16	प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारियों की कुल संख्या	528

परिशिष्ट–2

राज्य स्कीम

क्र०	राज्य स्कीम का नाम	2021–22 में कर्णांकित राशि (लाख रुपये में)
मांग संख्या–16 (पंचायती राज विभाग)		
1	मुख्यमंत्री निश्चय योजना	₹40000.00
2	मुख्यमंत्री निश्चय योजना–2	₹15000.00
3	निर्वाचित प्रतिनिधियों को भत्ता	₹22600.00
4	पंचायत सरकार भवनों के निर्माण	₹32100.00
5	ग्राम पंचायतों के विविध मदों हेतु	₹0.01
6	ग्राम कचहरी के विविध मदों हेतु	₹800.00
7	बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाईटी को अनुदान	₹1500.00
8	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान	₹17737.00
9	कम्प्यूटर ऑपरेटर का मानदेय	₹2000.00
10	अनुग्रह अनुदान	₹350.00
11	जिला पंचायत स्थापना	₹5000.00
12	**कुल (क्र०–1 से 11 तक)**	**₹137087.01 (तेरह अरब सत्तर करोड़ सत्तासी लाख एक हजार रुपये) मात्र**
मांग संख्या–35 (योजना एवं विकास विभाग)		
13	पंचायत सरकार भवन का निर्माण	₹5500.00
14	**कुल (क्र०–13)**	**₹5500.00 (पचपन करोड़ रुपये) मात्र**
मांग संख्या–03 (भवन निर्माण विभाग)		
15	विभाग का आधुनिकीकरण	₹149.99
16	**कुल (क्र०–15 का)**	₹149.99 **(एक करोड़ उनचास लाख निन्यानवें हजार रुपये) मात्र**
17	**सकल कुल (क्र०–11+13+15) :–**	**₹142737.00 (चौदह अरब सत्ताईस करोड़ सैंतीस लाख रुपये) मात्र**

परिशिष्ट–3

स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय

क्र०	मुख्यशीर्ष / कार्यक्रम	2021–22 में प्रावधानित राशि (लाख रुपये में)
मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम		
1.	स्थापना (मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय)	₹ 48057.89
2.	चौदहवाँ वित्त आयोग	₹ 501800.00
3.	राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में अंशदान	₹ 262622.00
मुख्य शीर्ष–2015–निर्वाचन		
4.	स्थापना (राज्य निर्वाचन आयोग)	₹ 459.44
5.	पंचायत निर्वाचन	₹ 4250.00
मुख्य शीर्ष–3451 – सचिवालय आर्थिक सेवाएँ		
6.	स्थापना	₹ 217.09
कुल :–		**₹ 817406.42**
		इक्कयासी अरब चौहत्तर करोड़ छह लाख बयालीस हजार रूपये मात्र की राशि

वित्तीय वर्ष वर्ष 2021–22 हेतु मांग संख्या–16 का कुल योग (राज्य स्कीम + स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय)

₹142737.00 + ₹817406.42 = ₹960143.42 लाख

(छियानवें अरब एक करोड़ तैतालीस लाख बयालीस हजार रूपये मात्र)

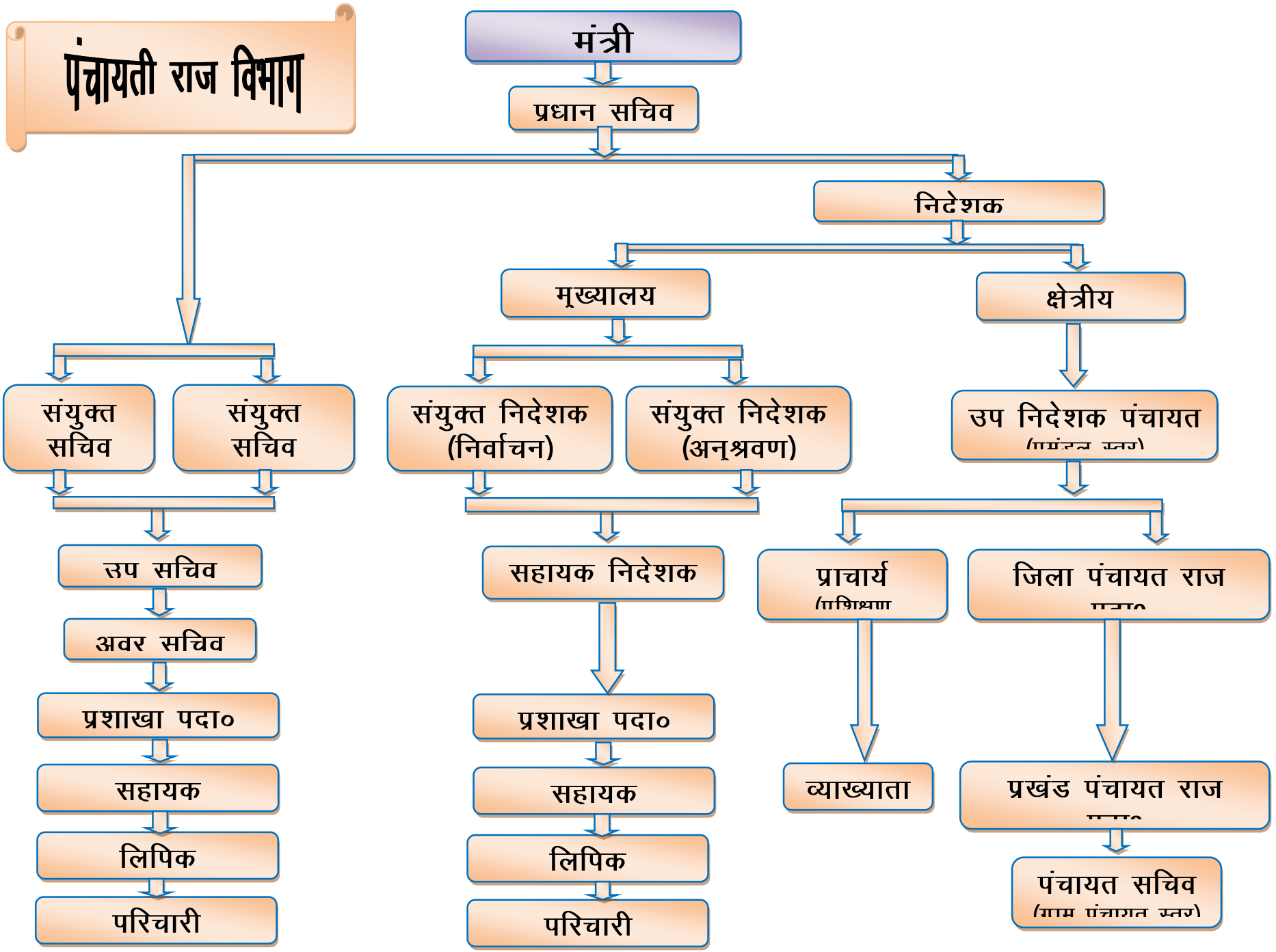
पंचायती राज विभाग
मंत्री
प्रधान सचिव
निदेशक
मुख्यालय
क्षेत्रीय
संयुक्त सचिव
संयुक्त सचिव
संयुक्त निदेशक (निर्वाचन)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)
उप निदेशक पंचायत
उप सचिव
अवर सचिव
प्रशाखा पदा०
सहायक
लिपिक
परिचारी
सहायक निदेशक
प्रशाखा पदा०
सहायक
लिपिक
परिचारी
प्राचार्य
व्याख्याता
जिला पंचायत राज
प्रखंड पंचायत राज
पंचायत सचिव

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

पदों की संरचना/संख्या (मुख्यालय)

क्र0	पद का नाम	स्वीकृत/ सृजित पद	कार्यरत बल	रिक्ति	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	प्रधान सचिव/सचिव	1	1	0	
2	निदेशक	1	1	0	
3	संयुक्त निदेशक–सह–संयुक्त सचिव/संयुक्त सचिव	1	0	0	
4	संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)/संयुक्त सचिव	1	0	0	
5	संयुक्त निदेशक (निर्वाचन)/संयुक्त सचिव	1	0	0	
6	उप सचिव	2	1	1	
7	अनुश्रवण पदाधिकारी	1	1	0	
8	सहायक निदेशक	1	0	1	
9	अवर सचिव	2	1	1	संविदा पर
10	उप राज्य आयोजक	1	0	1	
11	योजना पदाधिकारी	1	0	1	
12	वैज्ञानिक पद्धति विश्लेषक (कम्प्यूटर)	1	0	1	
13	शाखा आयोजक–सह–ग्रामीण विकास विशेषज्ञ	1	0	1	
14	विशेष कार्य पदाधिकारी	1	1	0	
15	प्रशाखा पदाधिकारी	11	6	5	
16	सहायक	44	13	31	
17	कम्प्यूटर प्रोग्रामर (6500–10500)(संविदा पर)	1	2	0	
18	प्रधान आप्त सचिव	1	0	0	
19	आप्त सचिव	1	2	0	
20	निजी सहायक	2	0	2	
21	आशुलिपिक	2	1	1	
22	सचिव के सचिव	1	0	1	
23	उच्चवर्गीय लिपिक	8	4	4	
24	निम्नवर्गीय लिपिक	12	2	10	
			3		क्षेत्रीय कार्यालय से तीन प्रतिनियुक्त।
25	लेखापाल	1	0	1	
26	रोकड़पाल	1	0	1	प्रतिनियुक्ति पर एक निम्नवर्गीय लिपिक कार्यरत।
27	प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी (मुख्यालय)	28	28	0	
28	प्रधान अनुदेशक	1	0	1	
29	कलाकार–सह–संगणक	1	0	1	
30	वाद्य अनुदेशक	1	0	1	
31	डाटा इन्ट्री ऑपरेटर (संविदा पर)	5	36		आउटसोर्सिंग/ बेल्ट्रॉन से संविदा पर नियोजन।
32	चालक	2	0	2	
			6		बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, पटना से पांच चालक की सेवा संविदा पर प्राप्त।

क्र0	पद का नाम	स्वीकृत/ सृजित पद	कार्यरत बल	रिक्ति	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
33	ट्रेजरी सरकार	1	0	1	
34	कार्यालय परिचारी	18	7	11	
35	आई०टी० ब्याय/गर्ल (संविदा पर)	-	13		आउटसोर्सिंग/ बेल्ट्रॉन से संविदा पर नियोजित।

नोट :– क्रमांक 31 पर अंकित डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के 5 पद स्वीकृत हैं जबकि कार्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बेल्ट्रॉन से संविदा पर सेवा प्राप्त 37 डाटा इन्ट्री ऑपरेटर कार्यरत हैं।

पंचायती राज संस्थाएँ

सशक्त

समावेशी

पारदर्शी

उत्तरदायी

पंचायती राज संस्थाएँ

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग